

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2590 / 2016 / भरतपुर
2. अपील संख्या 2591 / 2016 / भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त प्रतिकरावंचन, भरतपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स नदबई इण्डस्ट्रीयल एण्ड ऑयल मिल्स,
नडबई

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक।

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11.10.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 65 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपीलों को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिनके विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अ.सं.	अ.अ. की अ. संख्या	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
2590 / 16	272 / CST	2010-11	5,92,157	3,20,870	11,84,315
2591 / 16	273 / CST	2009-10	4,93,919	3,30,333	9,87,838

2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत "सी" फार्म सम्बन्धित राज्यों के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा असत्यापित होना पाए जाने के आधार पर अस्वीकार किए गए थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब का विश्लेषण करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत करते हुए रियायती दर से कर चुकाया गया है जबकि आलौच्य अवधियों के उक्त समस्त संव्यवहारों पर व्यवसायी का पूर्ण दर से कर जमा का दायित्व बनता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी का जवाब असंतोषनक मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई। जिनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई हैं।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य यह थे कि व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत "सी" फार्म सम्बन्धित राज्यों के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा असत्यापित होना पाए जाने के आधार पर अस्वीकार किए गए थे परन्तु अपील स्तर पर व्यवहारी द्वारा पुनः सम्बन्धित राज्यों के अधिकारियों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर पेश की। ऐसे प्रमाण पत्रों को पेश करने पर अपीलीय अधिकारी ने उन पत्रों की सत्यता की जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। जो न्यायिक दृष्टि से विधिक है क्योंकि इसमें केवल "सी" फार्म की प्रमाणिकता का प्रश्न था एवं व्यवहारी द्वारा अधिकारिक जांच रिपोर्ट स्वयं के पक्ष में पेश की है अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी को जांच/कार्यावही कर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं।
6. अतः उपरोक्त अपीलें अस्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय आदेश अनुसार "सी" फार्म सम्बन्धी अन्य राज्य के अधिकारियों के पत्रों की सत्यता की पुष्टि कर पुनः शीघ्र आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(क.एल.जैन)
सदस्य